भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3792

11 **अगस्त**, 2023 **को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

आयुष आरोग्य केन्द्र

3792. श्री रमेश बिन्द:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में जिला स्तर पर आयुष आरोग्य केन्द्रों के विकास के लिए की गई/की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में अनेक कंपनियों द्वारा विनिर्मित आयुर्वैदिक दवाओं और हर्बल उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए किसी विभाग का गठन किया है/नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, देश में जिला स्तर पर आयुष कल्याण केंद्रों का विकास संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है और तदनुसार, भारत सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। हालाँकि, आयुष मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के एक घटक के रूप में आयुष्मान भारत के तहत, 12500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, एनएएम के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से उनके राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों की कुल 12,500 इकाइयों को एएचडब्ल्यूसी के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 7666 एएचडब्ल्यूसी को कार्यशील बना दिया गया है। अनुमोदित और कार्यशील एएचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति **संलग्नक** पर दी गई है।

(ख) और (ग): जैसा कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके तहत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित है, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण और औषध लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों को लागू करना, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों के कार्यक्षेत्र में निहित है।

*****

संलग्नक

अनुमोदित और कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	अनुमोदित आयुष एचडब्ल्यूसी	कार्यशील आयुष एचडब्ल्यूसी
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	6	6
2	आंध्र प्रदेश	203	126
3	अरुणाचल प्रदेश	89	49
4	असम	489	268
5	बिहार	388	113
6	चंडीगढ़	12	5
7	छत्तीसगढ़	400	400
8	दिल्ली	0	0
9	दादरा नागर हवेली और दमण दीव	1	0
10	गोवा	74	72
11	गुजरात	365	245
12	हरियाणा	569	372
13	हिमाचल प्रदेश	740	240
14	जम्मू-कश्मीर	456	442
15	झारखंड	745	249
16	कर्नाटक	376	376
17	केरल	520	334
18	लद्दाख	0	0
19	लक्षद्वीप	7	7
20	मध्य प्रदेश	762	562
21	महाराष्ट्र	390	281
22	मणिपुर	67	14
23	मेघालय	45	22
24	मिजोरम	38	38
25	नागालैंड	49	45
26	ओडिशा	422	250
27	पुडुचेरी	4	4
28	पंजाब	217	0
29	राजस्थान	2019	919
30	सिक्किम	18	18
31	तमिलनाडु	650	250
32	तेलंगाना	421	421
33	त्रिपुरा	84	38
34	उत्तर प्रदेश	1034	736
35	उत्तराखंड	300	244
36	पश्चिमी बंगाल	540	520
कुल		**12500**	**7666**